न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :— करतार सिंह पूनीयॉ आर.ए.एस

अपील सं0 2019/00163 (163/2019)

1. सिमरन पुत्री स्व0 श्री रामकुमार पुत्र जसवन्तसिंह नाबालिग जरिये कुदरती वली माता दरवेश पत्नी स्व0 रामकुमार जाति अराई निवासी माणकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
2. दरवेश उर्फ धर्मेश कौर पत्नी रामकुमार पुत्र जसवंत सिंह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ। —अपीलाण्ट

बनाम

1. जसवंत सिंह पुत्र सूरज सिंह जाति अराई निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
2. गुरदेवकौर पत्नी जसवंतसिंह निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
3. दर्शनसिंह पुत्र जसवंतसिंह निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
4. सुभाष पुत्र जसवंतसिंह निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
5. कृष्णसिंह पुत्र जसवंत सिंह निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
6. लक्ष्मणसिह पुत्र जसवंतसिंह निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
7. रामसिंह पुत्र जसवंतसिंह निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
8. कुलवंतसिंह पुत्र सुरजनसिंह निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
9. दलबारासिंह पुत्र सुरजनसिंह निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
10. हाकमसिंह पुत्र सुरजनसिंह निवासी मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
11. उप पंजीयक संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
12. तहसीलदार संगरिया, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़। —रेस्पोडेण्ट

विरूद्ध आदेश दिनांक 26.08.2019 द्वारा सहायक कलक्टर संगरिया अ[illegible]
सिमरन बनाम जसवन्त सिंह आदि [illegible]0 53/2019

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:58:59 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

श्री अनिल कुमार शर्मा अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री नवीन कुमार मोदी अधिवक्ता रेस्पो0 1 ता 5
श्री रविन्द्र कुमार भोभिया राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांकः– 08.02.2021

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद पेश किया जिसके साथ धारा 212 आरटीएक्ट का एक प्रार्थना–पत्र पेश किया। प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट की संयुक्त खाता में चक 17 एमकेएस व 18 एमकेएस में कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थी के पर्वज ने अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट के पूर्वज सरजन सिंह से प्राप्त हुई थी। इस भूमि में अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट का जन्मजात विरासतन हक व हिस्सा बनता है जिसमें अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट का घरेलू बंटवारा के अनुसार अपीलाण्ट को चक 17 एमकेएस के खाता सं0 19/12 प. नं. 162/241 मु. नं. 41 किला नं. 3, 8, खाता संख्या 67/15 प. नं. 161/240 मु. नं. 37 के किला नं. 21, 22, चक 18 एमकेएस के खाता संख्या 126/14 प. नं. 157/228 मु. नं. 9 किला नं. 3, 4 प्राप्त है व इसी अनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त जमीन विरासतन जमीन का बेचान करके खरीद गई थी। जिमसें हमारा हक व हिस्सा बनता है। अप्रार्थीगण इस भूमि पर जबरदस्ती काबिज होना चाहते हैं और प्रार्थीगण को बेदखल करना चाहते हैं। अपीलाण्ट प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण को कब्जा से बेदखल कर भूमि को रहन बेय व मुंतकिल करने का अवलंब लेकर स्थगन आदेश जारी करने का अनुतोष मांगा।

2. अधीनस्थ न्यायलाय में अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत किया कि प्रश्नगत आराजी पैतृक आराजी नहीं है बल्कि स्वयं अर्जित आराजी है इसमें प्रार्थी का कोई हक हिस्सा नहीं है। पक्षकारों के मध्य कभी भी घरू बंटवारा नहीं हुआ है। अप्रार्थी रिकाडेर्ड खातेदार काश्तकार है उसके विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज किया है जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

4. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत आराजी चक 19 एमकेएस की 2.530 है0 भूमि का बेचान कर चक 17 एमकेएस की भूमि को क्रय किया गया था जो कि बेचान की गई भूमि अपीलाण्ट की पैतृक कृषि भूमि थी जिसके अपीलाण्ट का पैतृक हिस्सा स्वतः ही निहित हो चुका है। 6 बीघा 10 बिस्वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:58:59 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

कृषि भूमि रेस्पो0 सं0 1 न अपने नाम रिकार्ड में दर्ज करवा ली। प्रश्नगत भूमि अपीलाण्ट की खातेदारी है जिसमें अपीलाण्ट खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी है। बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त रेस्पोडेण्ट के पक्ष में तय नहीं किया जा सकता है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्गनत आराजी पैतृक आराजी नहीं है बल्कि स्वयं अर्जित आराजी है इसमें प्रार्थी का कोई हक हिस्सा नहीं है। पक्षकारों के मध्य कभी भी घरू बंटवारा नहीं हुआ है। अप्रार्थी रिकाडेर्ड खातेदार काश्तकार है उसके विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। अपीलाण्ट ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि प्रश्नगत आराजी पैतृक आराजी से खरीदी गई है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में डब्ल्यूडब्ल्यू.लाईव लॉ इन माननीय सुप्रिम कोर्ट की सिविल अपील नं. 7528/2019 अनवान गोविन्द भाई बनाम पटेल का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

7. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।

8. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

9. अपीलाण्ट का कथन है कि अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट की संयुक्त खाता में चक 17 एमकेएस व 18 एमकेएस में कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रश्नगत आराजी विरासतन आराजी का बेचान करके खरीद गई थी। जिमसें हमारा हक व हिस्सा बनता है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबंन्दी संवत 2070–73 चक 17 एमकेएस खाात संख्या 19/12 में अप्रार्थी संख्या 1 गुरदेव कौर के नाम 1.265 है. आराजी, खाता संख्या 37/28 में अप्रार्थी संख्या 2 जसवंत सिंह के नाम 0.127 है0 आराजी, खाता संख्या 36/27 चक 18 एमकेएस में अप्रार्थी संख्या 1 जसवन्तसिंह के नाम 1.731 है0, खाता संख्या 124/14 चक 18 एमकेएस में अप्रार्थी संख्या 1 जसवन्तसिंह के नाम 2.530 है0 आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। इस प्रकार उक्त आराजी रेस्पो[illegible] अलग अलग दर्ज है। यह संयुक्त आराजी नही है बल्कि एकल खाता [illegible] है। रेस्पोडेण्ट सं0 1 व 2 अभिलिखित खातेदार काश्तकार हैं। अधीनस्थ न्या[illegible]य ने बैयनामा एवं दस्तबरदारी के आधार पर प्रश्नगत आराजी [illegible] खरीद शुदा माना है अपीलाण्ट अपीलाण्ट का प्रार्थना–पत्र खारिज किया है। अपीलाण्ट ने अपील स्तर पर ऐसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:58:59 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है जिसके आधार पर यह साबित हो कि प्रश्नगत आराजी पैतृक विरास्तन आराजी को बेचकर खरीदी गई है। ऐसी स्थिति में हम अपीलाण्ट की अपील में कोई सार नहीं पाते हैं। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

10. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.08.2019 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

11. निर्णय आज दिनांक 08.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

8/2/21

(करतार सिंह पूनीयॉ आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी,
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Karar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:58:59 IST
Reason: SelfAttested